राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

अधिसूचना

क्रमांक : 05 / पी.आई. / 2019 दिनांक : 30.08.2019

दण्ड प्रकिया संहिता 1973 (1974 का अधिनियम सं 2) की धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उच्च न्यायालय राज्य सरकार के अनुरोध पर श्री उत्साह चौधरी परिवीक्षाधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी जिन्हें कार्मिक विभाग के आदेश कमांक F. 3/2(1)Pers/A-1/2018 दिनांक 01-08-2019 द्वारा जयपुर जिले के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है, ऐसे मामलों के संबंध में जो उनके न्यायिक प्रशिक्षण की अवधि से संबंधित जिले के वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट / मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट / महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय से अंतरित किये जायेंगे, संहिता के अधीन न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय वर्ग की प्रदत्त सभी शक्तियां उनके कार्यभार संभालने की तिथि से एक वर्ष या उनकी परिवीक्षाधीन अवधि, जो भी पूर्व हो, तक प्रदान की जाती है।

आज्ञा से,

(निर्मल सिंह मेड़तवाल)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)

क्रमांक : Gen/XV/38/1975 / 3823 - 3829 दिनांक : 30-08-19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव विधि एवं विधिक कार्य विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. संयुक्त सचिव, कार्मिक (क-1) विभाग, जयपुर को उनके आदेश क्रमांक F. 3/2(1)Pers/A-1/2018 दिनांक 01-08-2019 के संदर्भ में।
3. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर जिला / जयपुर महानगर।
4. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट / मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जयपुर महानगर / जयपुर जिला।
5. निदेशक, राजकीय लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर।
6. जिलाधीश, जयपुर।
7. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित है।

रजिस्ट्रार (प्रशासन)